प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.08.2026

स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही द्वारा कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की मदद से सरिया चोरी करने वाले गिरोह के 04 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, जिसके कब्जे से सरिया को ढोने में उपयोग में लाये जा रहे ट्रक नं0 NL01AH7968 व चोरी किया हुआ सरिया कुल बजन 41780 किलोग्राम बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व में स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा आज दिनांकः 23.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की मदद से सरिया चोरी करने में 04 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना के क्रम में अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की सरिया को ढोने में उपयोग में लाये जा रहे ट्रक नं0 NL01AH7968 व कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की मदद से चोरी किया हुआ सरिया कुल बजन 41780 किलोग्राम बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

पूछताछ का विवरण– पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि यह सरिया नेथली बागपत में उतरना था। हम चोरी से यही गोदाम में उतार रहे थे। यह सरिया हम राजकुमार उर्फ राजू निवासी बुलन्दशहर, लोकेश शर्मा उर्फ दिवाकर निवासी शास्त्रीनगर, गाजियाबाद तथा आफताब निवासी डासना के कहने पर उद्योग कुंज धर्म कांटा के बराबर में बने गोदाम में उतारते हैं। गाडी से माल उतारने के बाद राजकुमार उर्फ राजू, आफताब व दिवाकर द्वारा यहां पर एक अन्य गाडी भेज दी जाती है। जिसमें हम उतारे गए माल को लोड करके दे देते है। जो माल राजकुमार, आफताब व लोकेश उर्फ दिवाकर अपने ठिकानों पर उतरवा देते हैं। इस कार्य में यह सभी लोग काफी मोटा मुनाफा कमाते हैं और हम लोगों को भी हमारी रोजमर्रा की मजदूरी से अधिक पैसे देते हैं। जिस लालच में आकर हम लोग भी सरिया चोरी का कार्य पिछले काफी दिनों से कर रहे थे। आफताब व राजू पहले भी सरिया चोरी में कई बार जेल जा चुके हैं। आज हम लोग अभी सरिया उतार ही रहे थे, जिसके कुछ समय बाद ही राजकुमार, आफताब व लोकेश शर्मा द्वारा एक गाड़ी भेजी जानी थी, जिसमें हम लोग यह उतारा हुआ चोरी का सरिया भरवाकर भिजवाते, कि आपने हमें इससे पहले ही पकड लिया। चोरी के कृत्य में अपने कई साथियों के नाम बताये हैं। जिनके सम्बन्ध में जांच पड़ताल कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1. मुसर्रफ पुत्र अनवर निवासी गांव गुगराला थाना हापिजपुर जनपद हापुड़ उम्र 42 वर्ष।
2. ओसामा पुत्र रिफाकत निवासी बिजली बम्बा बाईपास थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ उम्र 25 वर्ष।
3. ईमरान पुत्र एजाज अली निवासी रसूलपुर थाना गुलवटी जनपद बुलन्दशहर उम्र 27 वर्ष।
4. प्रशांत पुत्र शैलेन्द्र कुमार निवासी बीकुपुर थाना बिदुना जनपद औरेया उम्र 19 वर्ष।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण–

1. 01 अदद ट्रक मय चोरी का सरिया सहित नम्बर–NL01AH7968
2. 41780 किलोग्राम चोरी का सरिया।

आपराधिक इतिहास–

गिरफ्तार अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1. स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. थाना कविनगर, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 चोरी की बैटरी(अलग अलग कम्पनी), बैटरी चोरी से सम्बन्धित अन्य औजार व 2000/- नकद कैश तथा घटना में प्रयुक्त कार आई 10 रजिस्ट्रेशन नं0 DL 8 CAA7017 व फर्जी नम्बर प्लेट DL3 CBQ 5120 बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक **23.08.2026** को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तगण (1). राशिद पुत्र यूनिस निवासी कुत्ते वाली गली मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली उम्र **24** वर्ष **(2).** अमन पुत्र रहीश निवासी गली न**0 2** शक्ति विहार मुस्ताफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली उम्र करीब **22** वर्ष **(3).** अरबाज पुत्र शौकीन निवासी गली **2** शक्ति विहार मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली उम्र **19** वर्ष **(4).** जावेद पुत्र वकील निवासी बाबू होटल वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र **20** वर्ष। को चोरी की 11 बैटरी(अलग अलग कम्पनी) व **बैटरी चोरी से सम्बन्धित अन्य औजार (एक पेंचकस,एक कटर,एक प्लास,एक पाना,कटी हुई बाइरिंग चार, 6 चाबी ,एक छोटा कटर)** व **2000/- नगद कैश व फर्जी नम्बर प्लेट** तथा घटना में प्रयुक्त कार आई 10 रजिस्ट्रेशन नं0 **DL 8 CAA7017** व फर्जी नम्बर प्लेट **DL3 CBQ 5120** के साथ रेलवे फाटक मननधाम मन्दिर की तरफ से एनडीआरएफ की ओर के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 261/26 धारा 317(2)/317(5)/3(5)/345(3) बीएनएस** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान एक स्वर में बताया कि साहब हम सभी दिल्ली के रहने वाले है और दिल्ली तथा उसके आस पास के जगहों से बैटरियों को चोरी करते है तथा चोरी की गयी बैटरी को बेचकर मिले पैसो से खर्चा चलाते है और बैटरी चोरी करके निर्माणधीन फ्लाई ओवर के पास छिपा के रखते थे आज हम इक्कट्ठी बैटरियो को अपने साथी 1.जुनैद पुत्र नामालूम निवासी गली न0 3 हलीम बिरियानी बाली गली पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली 2. नसरुफ उर्फ सोनू खान पुत्र इस्माइल निवासी गली न0 1 आइसा मस्जिद के पास पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली के पास ले जा रहे थे और इनको हमने पूर्व में भी चोरी का माल बेचा है जिनको बेचकर हम मिले पैसो से मौज मस्ती करते है। साहब आपने हमे पकड लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. राशिद पुत्र यूनिस निवासी कुत्ते वाली गली मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली उम्र **24** वर्ष
2. अमन पुत्र रहीश निवासी गली न**0 2** शक्ति विहार मुस्ताफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली उम्र करीब **22** वर्ष
3. अरबाज पुत्र शौकीन निवासी गली **2** शक्ति विहार मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली उम्र **19** वर्ष
4. जावेद पुत्र वकील निवासी बाबू होटल वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र **20** वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास।

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 02 अभियोग थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. एमरोन कम्पनी की बैटरी जिसका नम्बर **ADC**141421 सीरियल नम्बर 08347
2. अल्टीमा लाल रंग की बैटरी नम्बर अपठित
3. एक्साइड कार की बैटरी नम्बर ए5**LIA**023747
4. एक्साइड कार बैटरी काले रंग नम्बर अपठित
5. एमरोन बैटरी हरे रंग 12392 नम्बर
6. एक्साइड सफेद बैटरी न0 **AZE**4**BO**31125
7. पावर जोन बैटरी नम्बर 18374
8. एक्साइड बैटरी सफेद कलर नं0 8**LB**4**BD**32893
9. पोवर जोन ओरेन्ज बैटरी कलर नं0 **AB**116**KBCA**28794**CD**
10. एक्साइड बैटरी लाल रंग नं0 **A**3**JZD**014904
11. एक्साइड बैटरी लाल कलर नं0 **AIK**4**BZ**38030 **कुल बैटरी की सं0 11**
12. **बैटरी चोरी से सम्बन्धित अन्य औजार**(एक पेंचकस, एक कटर ,एक प्लास,एक पाना,कटी हुई बाइरिग चार, 6 चाबी ,एक छोटा कटर)
13. **2000/- नगद कैश।**
14. घटना में प्रयुक्त कार आई 10 रजिस्ट्रेशन नं0 **DL 8 CAA7017** व फर्जी नम्बर प्लेट **DL3 CBQ 5120**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम ।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 02 बंडल चाइनीज मांझा सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 23.08.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर क्लाउड-09, वैशाली के पास से अभियुक्त राजवीर पुत्र स्व0 बलदेव, उम्र करीब 53 वर्ष, निवासी मकान नं0 49, जाट मोहल्ला, महाराजपुर, थाना लिंक रोड, गाजियाबाद को 02 बंडल चाइनीज मांझा सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा 223(बी) बीएनएस व धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त राजवीर ने पूछताछ में बताया कि वह चाइनीज मांझा 01-02 पीस करके बेचता है, जिससे किसी को शक न हो, क्योंकि यह प्रतिबंधित है। सावन के त्यौहार के दौरान अधिक पतंगें उड़ने के कारण चाइनीज मांझे की मांग बढ़ जाती है। अभियुक्त ने बताया कि चाइनीज मांझा बेचने से उसे अधिक रुपये मिलते हैं तथा इससे होने वाली आमदनी से वह अपना एवं अपने परिवार का खर्च चलाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राजवीर पुत्र स्व0 बलदेव, उम्र करीब 53 वर्ष, निवासी मकान नं0 49, जाट मोहल्ला, महाराजपुर, थाना लिंक रोड, गाजियाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 बंडल चाइनीज मांझा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस की टीम द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर घर में चोरी करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 34,190/- रुपये, 01 पैन कार्ड व 01 पासपोर्ट स्लिप बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 18.08.2026 को वादी श्री दिलदार पुत्र मुरसलीन निवासी नीलमणि कॉलोनी, हज हाउस, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि उनके घर में किराये पर रहने वाली आयशा पुत्री सलीम ने अपने अन्य साथियों अनस पुत्र अनीश, खलील पुत्र शहीद, निशा पत्नी अनीश आदि के साथ मिलकर वादी एवं उसके परिवार को विश्वास में लेकर खीर में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। खीर खाने के बाद वादी एवं उसके परिवार के लोग नशे की हालत में हो गये, जिसका फायदा उठाकर अभियुक्तगण द्वारा घर में रखे करीब 07 लाख रुपये चोरी कर लिये गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। दिनांक 23.08.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग/संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान घटना में शामिल अभियुक्ता आयशा पुत्री सलीम, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी नीलमणी कॉलोनी, रॉयल एकेडमी स्कूल के पास, हज हाउस, न्यू हिंडन विहार, अर्थला, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद को रेलवे अंडरपास, बालाजी विहार, पुस्ता रोड, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से कुल 34,190/- रुपये, 01 पैन कार्ड एवं 01 पासपोर्ट स्लिप बरामद हुई। अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया कि वह वादी दिलदार के मकान में किराये पर रहती है। उसके साथी अनस ने पैसों का लालच देकर बताया कि मकान मालिक काफी पैसे वाला है और उस पर विश्वास करता है। अनस ने एक पुड़िया में नशीला पदार्थ लाकर उसे दिया और कहा कि इसे खाने में मिलाकर परिवार को खिला देना, जिससे आसानी से घर में चोरी की जा सके। अभियुक्ता ने उक्त पदार्थ को खीर में मिलाकर वादी एवं उसके परिवार को खिला दिया। खीर खाने के बाद सभी लोग बेहोश हो गये, जिसके बाद अभियुक्ता ने अनस व उसके दो अन्य साथियों के साथ मिलकर घर में चोरी की। अभियुक्ता के अनुसार चोरी की रकम में हिस्सा बांटने के बाद अनस द्वारा उसे उक्त रुपये दिये गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पताः-

- आयशा पुत्री सलीम, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी नीलमणी कॉलोनी, रॉयल एकेडमी स्कूल के पास, हज हाउस, न्यू हिंडन विहार, अर्थला, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अनस पुत्र अनीश
2. निशा पत्नी अनीश

3. मुस्कान पुत्री अनीश
4. खलील पुत्र शहीद।

बरामदगी का विवरण:-

- कुल 34,190/- रुपये।
- 01 पैन कार्ड।
- 01 पासपोर्ट स्लिप।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद पर नशीला पदार्थ खिलाकर घर में चोरी करने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 पेटी अवैध देशी शराब कुल 1100 पौव्वे हरियाणा मार्का तथा घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 22.08.2026 को समय करीब 23:55 बजे शौचालय कट, डीएलएफ, शालीमार गार्डन, गाजियाबाद के पास से अभियुक्त यामीन पुत्र मौहम्मद सफीक, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ए-44/बी-254, नई सीमापुरी, थाना सीमापुरी, दिल्ली को 22 पेटी अवैध देशी शराब, कुल 1100 पौव्वे हरियाणा मार्का तथा घटना में प्रयुक्त शेवरले कार सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह दीनू व अमन के साथ मिलकर हरियाणा से शराब लाकर आसपास के क्षेत्रों में महंगे दामों पर बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई होती है। आज भी वे लोग हरियाणा से शराब लेकर दिल्ली की ओर जा रहे थे, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर चैकिंग होने के कारण यहां रुक गये, जहां पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

यामीन पुत्र मौहम्मद सफीक, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ए-44/बी-254, नई सीमापुरी, थाना सीमापुरी, दिल्ली।

बरामदगी का विवरण:-

- 22 पेटी अवैध देशी शराब, कुल 1100 पौव्वे, हरियाणा मार्का, FOR SALE IN HARYANA ONLY।
- घटना में प्रयुक्त 01 शेवरले कार।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन, गाजियाबाद पर अवैध शराब के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद ।